

# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक: प्रशा./यूजीसी/2020/168

दिनांक 18 FEB 2020

## सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प्रशासन/(यूजीसी)/2018/537/दिनांक 25 अगस्त, 2018 के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिसरों में स्थित कैंटीनस् एवं इंडियन कॉफी हाउस में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाये तथा उसके पर्यवेक्षण के लिये गठित समिति में संशोधन करते हुए अब निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. डॉ. दीपक मेहता  
आचार्य,फिजिकल एज्युकेशन एवं परिसर प्रभारी — समन्वयक
2. डॉ. एल.के.त्रिपाठी,  
अधिष्ठाता,छात्र-कल्याण — सदस्य
3. डॉ. माया इंगले,  
सिस्टम ऐनालिस्ट कम्प्यूटर सेंटर — सदस्य
4. आहार विशेषज्ञ (समिति द्वारा सहयोजित किया जायेगा) — सदस्य

उपर्युक्त समिति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में स्थित कैंटीनस् एवं इंडियन कॉफी हाउस में जंक फूड के निर्धारण एवं उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्धारण एवं बिक्री पर रोक लगाने तथा समय-समय पर पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट माननीय कुलपतिजी को सौंपें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: प्रशा./यूजीसी /2020/168  
प्रतिलिपि :

दिनांक : 18 FEB 2020

1. समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख समस्त अध्ययनशालाएँ /संस्थान की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की ओर आवश्यक कार्यवाही इस निर्देश के साथ कि यूजीसी के निर्देशो का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे एवं रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ।
4. संचालक, इंडियन कॉफी हाउस तक्षशिला परिसर की ओर सूचनार्थ ।
5. राजेश बुन्देला/संचालक विश्वविद्यालय कैंटीन तक्षशिला परिसर की ओर सूचनार्थ ।
6. समस्त अधिकारीगण,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
7. विभागाध्यक्ष, आई.टी.सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. कुलपतिजी के सचिव /कुलसचिवजी के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप कुलसचिव (प्रशा.)